कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

कमांक / 850 / भू.अ.लि / 2017 रायगढ़ दिनांक 07 / 07 / 2017

प्रति,

अपर प्रधान
मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध / व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Issuance of form – II for non linear projects as evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under FRA for 185.017 Ha forest land proposed to be diverted for chhal OCseam – III project (6MTY).

संदर्भ :– 1. एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र का आवेदन पत्र कमांक SECL /GM /RGH / Envt. & Forest / 2017 / 73 Date 29 / 05 / 2017

2. कार्यालयीन पत्र कमांक 232 / स.अ.भू.अ. / 2015 रायगढ़ दिनांक 24.02.2015

––––00––––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार एस.ई.सी.एल. रायगढ़ द्वारा छाल उपक्षेत्र के खुली खदान परियोजना हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम लात की वन भूमि 176.710 हे. एवं ग्राम खेदापाली की राजस्व वन भूमि 8.307 हे. कुल रकबा 185.017 हे. वन भूमि के गैर वानिकीय उपयोग हेतु non-linear प्रकरण के लिए FORM-II में जानकारी चाही गई है। संदर्भित पत्र कमांक 02 में एस.ई.सी.एल. रायगढ क्षेत्र के छाल खुली खदान परियोजना हेतु प्रमाण–पत्र प्रदर्श 'स' प्रदाय किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त जानकारी एवं पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र प्रदर्श 'स' के आधार पर एस.ई.सी.एल. रायगढ़ अंतर्गत छाल उपक्षेत्र की खुली खदान परियोजना हेतु तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम लात की 176.710 हे. वन भूमि एवं ग्राम खेदापाली की 8.307 हे. राजस्व वन भूमि कुल रकबा 185.017 हे. वन भूमि के गैर वानिकीय उपयोग हेतु non-linear प्रकरण के लिए FORM-II में जानकारी तैयार कर आपकी ओर भेजी जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.कमांक / 850A / भू.अ.लि / 2017 रायगढ़ दिनांक 07.07.2017

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ़ को सूचनार्थ।
2. एस.ई.सी.एल. छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ को उनके पत्र दिनांक 29 / 05 / 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

Annexure-II

FORM-II

(for Project other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Raigarh

*****

No 850/Bhu.Abhi/2017 Dated 07-07-2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 176.710 Hectares forest land & 8.307 Hectares Revenue forest land Total **185.017** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **SECL Chhal OC Seam-III Project (6MTY)** for **Coal Mine** in **Raigarh** district falls within jurisdiction of **Lat & Khedapali** village(s) in **Dharamjaigarh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **185.017** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Lat & Khedapali** village(s) is enclosed.

(d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl; As above

(Shammi Abidi)
District Collector
Raigarh (C.G.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) धरमजयगढ़,जिला रायगढ (छ0ग0)

ज्ञापन

क्रमांक 122/प्रस्तु-1/वन अधि./2017 धरमजयगढ़ दिनांक 19/05/ 2017

प्रति,

उप महाप्रबधक (खनन)
उप क्षेत्रीय प्रबंधक एस.ई.सी.एल.छाल उप क्षेत्र
तहसील धरमजयगढ, जिला रायगढ

विषय :- **एस.ई.सी.एल. छाल खुली Seam-III(6MTY) हेतु व्यपवर्तन प्रकियाधीन ग्राम लात के 176.710 हे0 वन भूमि एवं ग्राम खेदापाली के 8.307 हे0 राजस्व वन भूमि कुल 185.017 हे0 भूमि का उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण का प्रेषण ।**

संदर्भ :- आपका ज्ञापन कमांक/एसईसीएल/राय/उक्षेप्र/छाल उपक्षेत्र/ 2017/658 दिनांक 07/03/2017

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 संशोधित नियम 2012 के तहत् दिनांक 05 मई 2017 को खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ का बैठक आयोजन किया गया।

बैठक में एस.ई.सी.एल. छाल खुली Seam-III (6MTY) हेतु व्यपवर्तन प्रकियाधीन ग्राम लात के 176.710 हे0 वन भूमि एवं ग्राम खेदापाली के 8.307 हे0 राजस्व वन भूमि कुल 185.017 हे0 भूमि के संबंध में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ़ द्वारा चर्चा किया गया। बैठक कीं कार्यवाही /चर्चा के आधार पर खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ का प्रमाण पत्र एतद् द्वारा संलग्न कर भेजी जा रही है।

सहपत्रः- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
धरमजयगढ

पृष्ठां0 कमांक 122/प्रस्तु-1/वन अधि./2017 धरमजयगढ़ दिनांक 19/05/ 2017

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर महोदया रायगढ की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
धरमजयगढ

उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ़ की बैठक दिनांक 05/05/2017

:: प्रमाण पत्र ::

रायगढ़ जिले के वन मण्डल धरमजयगढ़ के अन्तर्गत आने वाले एस.ई.सी. एल. छाल की खुली खदान Seam-111 (6mty) परियोजना हेतु अधिग्रहण क्षेत्र अन्तर्गत वन भूमि कुल रकबा 185.017 हे0 प्रभावित हो रहा है। जिसमें तहसील धरमजयगढ के अन्तर्गत आने वाले ग्राम लात के संरक्षित वन कक्ष कमांक 1115/478 रकबा 176.710 हे0 तथा ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 87/2क, 85/2क एवं 5/2 कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 8.307 हे0 है। इस व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो संरक्षित वन भूमि ग्राम लात एवं राजस्व वन भूमि ग्राम खेदापाली कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है । उक्त भूमि पर कोई भी वन अधिकार पत्र (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि/राजस्व वन भूमि पर नहीं दिया गया है। खसरा नम्बर 85/2क रकबा 6.000 हे0 भूमि में रेशम बीज केन्द्र खेदापाली का कार्यालय, निवास गृह, पेड़ एवं अन्य भवन आदि स्थित है।

यह प्रमाण पत्र ग्राम सभा लात की बैठक दिनांक 02/10/2013 एवं ग्राम सभा खेदापाली के बैठक दिनांक 08/10/2014 के आधार पर जारी करने का प्रस्ताव उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (वन) सह
सचिव खण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति धरमजयगढ़

अनुविभागीय अधिकारी (रा) सह
अध्यक्ष खण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति धरमजयगढ़

उपाध्यक्ष
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़

अध्यक्ष जनपद पंचायत सह
सदस्य खण्ड स्तरीय वन अधिंकार
समिति धरमजयगढ़

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष जनपद पंचायत सह
सदस्य खण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति धरमजयगढ़

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
पंचायत सह सदस्य खण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति धरमजयगढ़

जिला पंचायत सदस्य
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला पंचायत सदस्य सह
सदस्य खण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति धरमजयगढ़

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 232 /स.अ.भू.अ./ 2015 रायगढ़ दिनांक 24/02/2015

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाले वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 से प्रावधान अनुसार प्रदर्श 'स' प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र कं./भू–प्रबंध/खनिज/106/1082 रायपुर दिनांक 14.06.2012
2. मेसर्स एसईसीएल/रायगढ/उ.क्षे.प्र./छाल/वन एवं पर्या./15/455 दिनांक 23.02.2015

—00—

विषयांतर्गत महाप्रबंधक एस.ईसी.एल.रायगढ़ क्षेत्र, छाल उपक्षेत्र द्वारा खुली खदान परियोजना हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत ग्राम लात एवं ग्राम खेदापाली तहसील धरमजयगढ़ स्थित वन भूमि कुल रकबा 185.017 हे. गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदर्श "स" में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ से उपरोक्तानुसार ग्राम लात एवं ग्राम खेदापाली का प्रदर्श "स" में प्रमाण पत्र लिया गया ।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के प्रमाण पत्र अनुसार प्रदर्श "स" सादर संप्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग)

पृ. क्रमांक / 232A /स.अ.भू.अ./ 2015 रायगढ़ दिनांक 24/02/2015

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ को सूचनार्थ ।
3. महाप्रबंधक एस.ईसी.एल. छाल रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग)

Pradars SA

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), रायगढ (छ.ग)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स एसईसीएल रायगढ क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान Seam-III परियोजना (6 MTY) के लिये **185.017** हे. राजस्व वन भूमि ग्राम लात में वन भूमि 176.710 हे. एवं ग्राम खेदापाली राजस्व वन भूमि 8.307 हे. कुल रकबा **185.017** हे., तहसील धरमजयगढ़ स्थित राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि गैरवानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है :–

1– कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ग्राम लात में वन भूमि 176.710 हे. एवं ग्राम खेदापाली राजस्व वन भूमि 8.307 हे. कुल रकबा 185.017 हे., तहसील धरमजयगढ़ स्थित राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 'स' के आधार पर तैयार किया गया है।

ग्राम लात में ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 02.10.2013 एवं ग्राम खेदापाली में ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 08.10.2014 (प्रदर्श 'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श 'ब') पर दर्शित है।

2– कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 02.10.2013 को ग्राम लात के श्री रूपसिंह राठिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02.10.2013 को रखा गया था, इसमें **60 प्रतिशत** ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे एवं ग्राम खेदापाली के श्रीमती पार्वती बाई कंवर की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08.10.2014 को रखा गया था, इसमें **52 प्रतिशत** ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत् कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई ।

3– प्रस्तावित राजस्व वन क्षेत्र मे प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्रं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5	6
			———निरंक———		

4– कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उन ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यो की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

5– कि ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिसका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 " की धारा 3 (1) (E) अंतर्गत विशेष कर संरक्षित रखना है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

Pradars SA

प्रमाण पत्र

प्रदर्श–"स"

मेसर्स एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान Seam-III परियोजना (6 MTY) के लिये ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत संपूर्ण पक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम लात, तहसील धरमजयगढ़ में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 02 अक्टूबर 2013 को संपन्न ग्राम लात के ग्राम सभा एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") दर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम लात के श्री रूपसिंह राठिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02 अक्टूबर 2013 में रखा था एवं इसमें 60 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
	निरंक	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02 अक्टूबर 2013 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जानजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006"** की धारा 3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मुकेश बंसल)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति, जिला रायगढ (छ.ग.)

दिनांक
23 FEB 2015

23/2/15
अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
धरमजयगढ

<u>कार्यालय, ग्राम पंचायत लात</u>
<u>तहसिल–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)</u>

दिनांक
20.3.2022

सहमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र

एस0ई0सी0एल0 के छाल खुली खदान की क्षमता विस्तार 01 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन से 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन क्षमता हेतु ग्राम पंचायत लात द्वारा सहमति/अनापत्ति पत्र प्रदान की जाती है।

सचिव
ग्राम [illegible]
तह[illegible]गढ़,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

मनटोरी
सरपंच
ग्राम पंचायत - लात
ज.पं. [illegible]
सरपंच
ग्राम पंचायत लात
तहसिल–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

ग्राम सभा दिनांक 8/10/14 - खेदापाली पृष्ठ क्र. 2

क्र.	विषय	विस्तृत	कार्यवाही	
	~~एस ई सी एल के द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में~~	~~आज ग्राम सभा में शासन के द्वारा प्रस्तावित है परन्तु खेदापाली के समस्त खातेधारी को नौकरी~~	~~यह चर्चा किया गया कि ग्राम खेदापाली 140 हेक्टर भूमि को अधिग्रहण ग्राम वासीयों के द्वारा, ग्राम भूमि को लिया जावे एवं समस्त दिया जावे, और सब भी यह~~	Singh
	एस ई सी एल के द्वारा अधिग्रहण, के संबंध में	आज ग्राम सभा ग्राम के उपस्थित व्यक्ति के ग्राम खेदापाली के जावे एवं ग्राम के समस्त तथा पल्ली मांग किया खातेदार अधीन के अंदर किया गया। अतः यही कि उक्त मांगों को मंजूर किया कोई आपत्ति नहीं है।	के यह चर्चा किया गया कि ... यह मांग किया गया कि समस्त भूमि के अधिग्रहण किया खातेदारों को नौकरी दिया जावे गया कि ग्राम के भूमि जिसका उचित मुवावजा दिया जावे। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति पास भी चर्चा किया मांग किया गया जाता है तो हम ग्राम वासीयों को	

Singh

[signature] उपसरपंच ग्राम पंचायत खेदापाली वि.खं. धरमजयगढ़ जि. रायगढ़ (छ.ग.)

जसवंती अप्रैल ...

[signature] सचिव ग्राम पंचायत खेदापाली वि.खं. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़

[signature] सरपंच ग्रा.पं. खेदापाली ... धरमजयगढ़

21/10/2013

ग्राम सभा बैठक दिनांक 2/10/13

(23)

		65 उदासिंह /	नत्थूराम सम्पत		
		66 न्यम्पीला /	फूलचंद ठेकेदार		
		67 रेशम /	प्रकाशराम —		
		68 [illegible] /	[illegible]		कृष्णसिंह
		69 [illegible] /	खूबचंद ठेकेदार		
		70 [illegible] / [illegible]	— [illegible]		
		71 सूरजभान / हीरासिंह	ठेका —		
		72 ज्योति / [illegible]	(ठेकेदार) [illegible] 9827671867 [illegible]		घनश्याम सिंह
		73 [illegible] / [illegible]	ठेका —		
		74 [illegible] /	—		
	7 एम. एस. ई. डी. एल. [illegible] सुखीन [illegible] [illegible] [illegible] के संबंध में	दिनांक [illegible] [illegible] SECL 12/3247 [illegible] के क्र. [illegible] 176.71 एकं अर्जुन सिंह के [illegible] परिवारो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जीवन है। इस [illegible] [illegible] किया गया था, [illegible] एवं [illegible] रहे है। अतः ग्राम [illegible] भूमि का [illegible]	को ग्राम सभा बैठक में [illegible] / [illegible] 28.9.13 के तारतम्य में निर्णय लिया गया कि [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] 20,20 [illegible] किया गया है तथा [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] करते आ रहे को शासन द्वारा [illegible] उसका [illegible] किया [illegible] भी जीवन यापन करते [illegible] लाल के अन्तर्गत 176.71 है। [illegible] एल. द्वारा [illegible]		ज्योति [illegible] [illegible] रघुवीरसिंह [illegible] हेतराम [illegible] हेतर [illegible] अजय सिंह सेवाराम [illegible]
		मनटोरी सरपंच ग्राम पंचायत [illegible]		मनटोरी सरपंच ग्राम पंचायत [illegible]	

Date 21/10/2013

Date 21/10/13 (25)

क्र0	उपस्थित हस्ताक्षर	विषय	संक्षिप्त	कार्यवाही	प्रस्ताव की पालन	हस्ताक्षर
			गैर वानिकी प्रयोग हेतु व्यपवर्तन पर ग्राम सभा में गहन चर्चा हुई। अंत में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मती से स्व. ई.सी.एल. को आवेदित वन भूमि 176.710 हे. का व्यपवर्तन हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।		मनटोरी सरपंच ग्राम पंचायत	रामती भगवती
					मनटोरी सरपंच ग्राम पंचायत	

ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही का विवरण

प्रदर्श-"ब"

ग्राम — लात

स्थान —पंचायत कार्यालय प्रांगण, लात

दिनांक 02/10/2013

आज दिनांक 02/10/2013 को ग्राम–लात, तहसील–धरमजयगढ़, के श्री रूपसिंह राठिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक की सभा आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल लगभग 60% सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र ने ग्राम लात की वन भूमि 176.710 हेक्टेयर के व्यपवर्तन (गैर वानिकी कार्य) के लिये आवेदन पत्र कमांक एसईसीएल/उ.क्षे.प्र./छाल उपक्षेत्र/13/3242 दिनांक 29/09/2013 के तहत् मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई।
3. इस वन भूमि की व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो कुल वन भूमि 176.710 हेक्टेयर गैर वानिक कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है जिसका विवरण पृथक से सूची अनुसार संलग्न है।

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ग्राम –लात की कुल वन भूमि 176.710 हेक्टेयर को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स साऊथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड छाल उपक्षेत्र को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

उपस्थित सदस्यगण :–

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों की सूची एवं हस्ताक्षर सत्यापित कर संलग्न किया गया।

हस्ताक्षर ....

(सरपंच, ग्राम पंचायत लात)

सील

ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही का विवरण

प्रदर्श-"ब"

ग्राम – खेदापाली

स्थान – पंचायत कार्यालय प्रांगण, खेदापाली

दिनांक 08/10/2014

आज दिनांक 08/10/2014 को ग्राम–खेदापाली, तहसील–धरमजयगढ़, के श्रीमती पार्वती वाई कवंर की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक की सभा आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल लगभग 300 (52%) सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम खेदापाली में आवेदक मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल 8.307 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई।
3. इस बन भूमि की व्यपवर्तन प्रकरन के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो कुल राजस्व वन भूमि 8.307 हेक्टेयर गैर वानिक कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी,गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य,आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक)किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

आदिवासी /गैर परंपरागत वनवासी ब्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है जिसका विवरण पृथक से सूची अनुसार संलग्न है।

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ग्राम –खेदापाली की कुल राजस्व वन भूमि 8.307 हेक्टेयर को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मैसर्स साऊथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड छाल उपक्षेत्र को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे बशर्ते ग्राम के समस्त भूमि को अधिग्रहण किया जावे एवं ग्राम के समस्त खातेदारों को नौकरी दिया जावे तथा उचित मुआवजा दिया जावे।

उपस्थित सदस्यगण :–

ग्रामसभामें उपस्थित ग्रामवासियों की सूची एवं हस्ताक्षर सत्यापित कर संलग्न किया गया।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

सरपंच

ग्राम – खेदापाली

(सील)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) धरमजयगढ़, जिला–रायगढ

:: ज्ञापन ::

कमांक ५५२/वाचक–1/2015 धरमजयगढ़ दिनांक 23/02/2015

प्रति,

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :–एस.ई.सी.एल. रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान SEAM-III परियोजना (6 MTY) के लिए ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हे0 एवं ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि 8.307 हे0 कुल वन भूमि 185.017 हे0 का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ :– उप महाप्रबंधक (खनन) उप क्षेत्रीय प्रबंधक एस.ई.सी.एल. छाल उपक्षेत्र का ज्ञापन कमांक एस.ई.सी.एल/राय/उक्षेप्र/छाल/वन एवं पर्या/15/295 दिनांक 31 जनवरी 2015

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत उप महाप्रबंधक (खनन) उपक्षेत्रीय प्रबंधक एस.ई.सी.एल. छाल उपक्षेत्र द्वारा संदर्भित पत्र में ग्राम लात के वन भूमि 176.710 हे0 एवं ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि 8.307 हे. कुल वन भूमि 185.017 हे0 भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने निवेदन किया गया है।

इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत लात एवं सरपंच ग्राम पंचायत खेदापाली से ग्राम सभा का प्रस्ताव मंगाया गया।

(1) सरपंच ग्राम पंचायत लात द्वारा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02 अक्टूबर 2013 की कार्यवाही विवरण प्रदर्श "ब" में पेश किया है जिसमें सरपंच द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम लात के कुल 22 अनुचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र दिनांक 26 सितम्बर 1984 को प्रदान किया गया है साथ ही सरपंच द्वारा तथाकथित भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की फोटोकापियॉ संलग्न किया गया है। प्रस्तुत भू स्वामित्व प्रमाण पत्र में किसी भी सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। उक्त दस्तावेज को वन अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रदत्त वन अधिकार की संख्या निरंक मानी जावेगी।

(2) ग्राम पंचायत खेदापाली का बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2014 की कार्यवाही विवरण प्रदर्श "ब" में पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम खेदापाली में अनुचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र किसी को प्रदान नहीं किया गया है। अतः प्रदत्त वन अधिकार की संख्या निरंक मानी जावेगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम लात एवं ग्राम खेदापाली के वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदर्श "स" तैयार कराकर श्रीमान् कलेक्टर महोदय रायगढ की ओर सादर सम्प्रेषित।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
धरमजयगढ़